राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17522/2023

आसु राम पुत्र श्री सुखा राम, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी जंभेश्वर मंदिर, कोसाना, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री ऋषभ तायल तथा श्री जितेन्द्र चौधरी।
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री प्रियांशु गोपा, श्री विनीत सनाढ्य के लिए।
सुश्री मेहाली मेहता, श्री मनीष पटेल, एएजी के लिए

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

20/03/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत 27.09.2023 (अनुलग्नक 9) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार प्रतिवादी विभाग ने 16.12.2022 (अनुलग्नक 3) के विज्ञापन के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, लेवल-2 (सामाजिक अध्ययन) के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर अनंतिम रूप से विचार किया था। इसके अलावा, वह

इस बात से व्यथित है कि चयन प्रक्रिया में सफल होने के बावजूद, प्रतिवादी उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि:

2.1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने 16.12.2022 के विज्ञापन के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सामान्य/विशेष शिक्षा) (लेवल-2, कक्षा 6-8) के पद के लिए भर्ती शुरू की। याचिकाकर्ता ने 10.01.2023 को शिक्षक लेवल-2 (सामाजिक अध्ययन) के पद के लिए आवेदन किया और लिखित परीक्षा में 213.8294 अंक प्राप्त किए। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कटऑफ पूरा करने के बावजूद, याचिकाकर्ता का रोल नंबर 27.09.2023 को जारी अंतिम चयन सूची में नहीं आया।

2.2. दिनांक 27.09.2023 के एक कार्यालय आदेश में, यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 323, 341, और 354 के तहत एक प्राथमिकी लंबित होने के कारण अनंतिम रखा गया था, जो 17.07.2022 की एक घटना से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने लंबित एफआईआर के संबंध में बोर्ड को एक स्पष्टीकरण प्रदान किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदारों से जुड़े एक भूखंड विवाद के संबंध में पुलिस स्टेशन, पीपरशहर में दो एफआईआर (नंबर 226 और नंबर 227) दर्ज की गई थीं। पुलिस ने दिनांक 14.10.2022 को चालान/अंतिम रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत की, जो सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ सिटी के समक्ष विचाराधीन है।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दिनांक 27.09.2023 के कार्यालय आदेश ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 323, 341, और 354 के तहत अपराधों के लिए लंबित एफआईआर के कारण याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.12.2019 को जारी एक परिपत्र के अनुसार किया गया था, जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक लगाता है। याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी इस परिपत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती थी, और पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 256 के अनुसार, अच्छा चरित्र रोजगार के लिए एक शर्त है। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और केस रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन एफआईआर वास्तव में एक क्रॉस केस है जो केवल पारिवारिक विवाद से उत्पन्न आरोपों और प्रति आरोपों पर आधारित है। उम्मीदवारी की अस्वीकृति के समय, आपराधिक दोष सिद्ध होना अभी बाकी था।

6. यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता की योग्यता विवाद के अधीन नहीं है और उसकी उम्मीदवारी पर विचार न करने के लिए एकमात्र बाधा उसके आपराधिक मामले का लंबित होना है।

7. इसके बाद, जैसा कि ऐसा हुआ, याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया, जैसा कि दिनांक 02.01.2024 के आदेश (अनुलग्नक 15) से पता चलता है। यह उपर्युक्त पृष्ठभूमि में है कि प्रतिवादियों ने अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता को बरी किए जाने का लाभ दिया। रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिनांक 25.02.2024 (अनुलग्नक-ए) के आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को जोधपुर जिला आवंटित किया। सुनवाई के दौरान आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है और इसे रिकॉर्ड में लिया गया है तथा अनुलग्नक-ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

8. इस आधार पर, इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए कुछ भी शेष नहीं है।

9. रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 25.02.2024 (अनुलग्नक-ए) के कार्यालय आदेश का लाभ दिया जाए तथा याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ उनसे संपर्क करने से तीस दिनों की अवधि के भीतर उसे नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।

10. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।